

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई विल्ली, शनिवार, अप्रेंल 13, 1996 (चैन्न 24, 1918)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13, 1996 (CHAITRA 24, 1918)

इस भाग में भिन्त पृष्ठ संख्या वी जाती है जिनने कि यह अनग मंत्रनत के छा में रक्षा जा सकते।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों नारा जारो को गई विविध अधिसूबनाएं जिनमें कि आदेश, शितायत और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies!

भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यलय

बम्बई-400005, दिनाक 29 फरवरी 1996

सं. 438/08 21.002/96—भारतीय स्टेट बैंक अधि-नियम 1955 की भारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शांकिनों का प्रयंग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के परामशे से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षकों से इस से निम्निकिल्ट को उदत बैंक की अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक के टिए नियुक्त किया है

- (1) मैंसर्म के एन गटगिटया एण्ड क., कलकसा
- (2) मैंसर्स बाटलीबाय एण्ड पुरोहित, मुबद्द
- (3) सैंसर्ग फाराकी एण्ड क , नयी दिल्ली
- (4) मौनर्ग जगननाथन एण्ड सब दिवरन, मद्राम

- (5) मैंसर्स सोराब एस. इजीनियर एण्ड क , म शर्द
- (6) मसस लूनकर एण्ड क , जाधपुर
- (7) मैंसर्स के. के. सोनी एण्ड कां, नयी दिल्ली
- (8) मैंसर्स आर सिधी एण्ड क , कलकत्ता
- (9) मौसर्भ उमामहोक्षर राव एण्ड क , हौवयाबाव
- (10) मैसर्भ इसल सिन्हा एण्ड क नंशी दिल्ली
- (11) मेंसर्भ जैन घोषडा एण्ड क , नगी दिल्ली
- (12) मैंसर्भ पी दी विजयराधवन एण्ड का , मद्रास
- (13 गैर से सलारपरिया जागीडिया एण्ड का, पटना

ष्टी एस रामचद्र राज कार्यपालक निव्चाक

(3067)

1--19GI/96

अध्यक्ष

हिनियम 10-क (1) (क) के अंतर्गत सहायक श्रम आयुक्त, भुवरी, डाकभर-धुवरी, जिला-भुवरी।

सवस्य

विनियम 10-क (1) (ख) के अन्तर्गत

मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जिला-धृवरी, डाकघर-धृवरी।

विनियम 10-क (1) (ग) के अन्तर्गत

प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, गुवाहटी या उत्सक्ते व्वारा नामित क्लोई अन्य-चिकित्सा अधिकारी

विनियम 10-क (1) (घ) के अन्तर्गत

- श्रीपी.पी.भराली, वैयक्तिक प्रबन्धक, मैंसर्ज उमकोलि.धुवरी
- श्री भास्कर चेटणीं, निद्याक मैसर्ज धृवरी प्लाइउड फौक्टरी, धृवारी।
- श्री को हारलालका, श्रीताइटर हारलालका मैनिफेकस-रिंग उद्यम, एमको रोड, धृबरी

विनियम 10-क (1) (ङ) के अंटार्गत

- 1. प्राफेसर पी. चन्द, अध्यक्ष गांबालपारा जिला बिदि मजदूर संघ, धूबरी
- 2. म. नासिरूद्दिन, साधारण सचित्र, एमको अमिक संघ ध्वरी
- 3. श्री नी. भी. बत्ता, अध्यक्ष उमकी मजदूर संघ, धुबरी

विनियम 10-क (1) (च) के अन्तर्गत प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम भूबरी।

> शादकानुसार यू. सी. डॉले क्षेत्रीय निद्येषक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नर्द दिल्ली-110002, दिनांक 22 जनवरी 1996

सं. एक-28-14/95-एन सी टी ई.--राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के रूण्ड 32 के उप-रूण्ड (1) एवं अप-रूण्ड (2) की धारा (श) तथा (द) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्सरों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनयम 1993 (1993 की संख्या 73) के लण्ड 20 के उप-लण्ड (3) की धारा (ग) एवं उप-लण्ड 5 के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाये गर्थ ह⁵, गथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम ''राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा तिरवद (क्षेत्रीय समित में नामजद व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल तथा जन्हें दोय भत्ता), विनियम, 1955'' हो । ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाए⁻

संवर्भ के अनुसार तब तक कोई अर्थन हो इन विनियमों में

- (1) ''अधिनियम'' का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73)
- (2) अन्य सभी कल्दों के वहीं अर्थ होंगे जो इ॰स अधिनियम के खण्ड 2 में निहित हैं।

3. व्यक्तियों की संस्था

परिपद के अध्यक्ष द्वारा एंसे छ व्यक्तियों को जिन्हें अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में विशंध ज्ञान और अनुभव हो, प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में नामजद किया जाएगा।

4. कार्यकाल

उपर्युक्त विनियम 3 के अंशर्गत क्षेत्रीय समिति में नामणव व्यक्तियों का कार्यकाल, नामजदगी की तारीख से अथवा नई निय्भित्तयां होने तक, जो भी बाद में हो, दो धर्ष का रहोगा।

5. व्यं भत्ता

- (1) उस व्यक्ति को, जिसे क्षेत्रीय समिति से नामजद किया गया है, क्षेत्रीय समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिये परिषद द्वारा समय समृय पर निर्धा-रित दर से यात्रा तथा वानिक भत्ता अदा किया जाएगा।
- (2) उपर्युक्त उप-सण्ड के अंतर्गत बेय यात्रा तथा वैनिक भर्त के अतिरिक्त नामजब सदस्यों को, उतने विनों के लिये जितने दिन सदस्य बैठक में वास्तव में उप-रिश्वत रहाते हैं, परिजब द्वारा समय समय पर निर्धारित वर से मानदोय भी दिया जायोगा ।

सुरोन्द्र सिंह सदस्य सण्जिष राष्ट्रीय अध्यापक दिक्षा परिषद

नर्क दिल्ली 110002, विज्ञांक 29 फरवरी 1996

सं. एफ-28-7/95-एन.सी.टी.इ. --सण्ड 32 को उप सण्ड (1) एवं उप रूपड 2 की धारा (अ) तथा।(ट) द्वारा प्रकल शिक्लयों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक विक्षत परिचव अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) को साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने निम्नसिखिल किनियाम बनाए हैं, यथा:

संक्षिप्तः नाम और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों का माम राष्ट्रीय अध्यापक (कोरम, सहयोजन तथा बैठकों से सम्बर्गिशत विकास) विनियम, 1995 है।
- (2) यं विनियम सरकारी राज्यक में प्रकाशन की तारीस से लाग माने जाएंगे।

2 परिमाषाएं

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो, इन विनि-यमों में :---

- (क) ''अधिनियम'' का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73)।
- (स) ''परिषव्'' का अर्थ है राष्ट्रीय अख्यापक शिक्षा परिषद्।
- (ग) ''कार्य'कास्णि समिति'' का अर्थ ही, अधिनियम के खण्ड 19 के उप सण्ड (1) के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति।

3. कार्यकारिणी समिति की बैठको

- (1) अपने कार्य के निष्पादम के लिये कार्यकारिणी सरिमति क्ती बैठकों अक्सर जब भी आवश्यक होगा, आधोरिजरा होती रहेंगी, किन्तु ये बैठकों एक करिलेण्डर व्यर्क में कम से कम दो बार अवस्य होंगी।
- (2) कार्यकारिणी समिति की बैठकों की तारील, समय एकंस्थान अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जाएगे और बैठकों की कार्यस्थी की मदों का अन्मोधन भी वहीं करोंगे।
- (3) अध्यक्ष द्वारा सिस्सित मी बैठक में अनुपस्थित रहने का अवकाश मंजर कर लिये जाने के असिरिक्स सबस्य को कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थित रहना होना और उसे बैठक में स्केमए उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर भी करने होने।

बैठक की सचना और कार्यस्ची

- (1) क्कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों की बैठक की निर्धारित तारील से कम से कम दस दिन पहले कार्य-कारिणी समिति की प्रत्येक बैठक की लिखिस सूचना दी जाएगी।
- (2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का उल्लोका रहेगा, साथ ही बैठक में निष्पाधित होने वाले प्रस्तावित कार्य का उल्लेख भी रहेगा।

- (3) बैठक की सूचना के साथ या उसके तरन्त बाद से बैठक की कार्यसूची से सम्बन्धित सामग्री
- (4) अध्यक्ष या उनकी अनपस्थिति में उपाध्यक्ष अधवा अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य सबस्य की अनुमति के बिना, जैसी भी आवश्यकता हो, एंसी किसी मद या कार्य पर, जो कार्यसूची में साम्मलित न हो, विचार नहीं किया जायेगा ।
- 5. कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तृत सभी प्रक्तों पर बैठक में उपस्थित तथा मतवान करने वाले महस्यों द्वारा बहुमल से ही निर्णय लिया जायंगा । किसी प्रदन के पक्ष या वितक्ष में बराबर मत होने पर अध्यक्ष को अध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की वाष्यक्षका करने वाले व्यक्ति को दासरा या निर्णायक मल दोने का अधिकार होगा।

6. कोरम

- (1) कार्यकारिणी समिद्धि की प्रत्येक बैठक में, रिक्त स्थानों को छोड़कर, कम से कम एक दिहाई सदस्यी के उपस्थित रहने पर कोरम प्रा माना जायेगा ।
- (2) यदि किसी बैठक में कोरम पूरा न हो, अध्यक्षता करने वाला सदस्य 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाव, उसी विन उसने घंटे के लिये, या अगले दिन के लिये या किसी अन्य दिन के लिये, जैसा भी नह उचित समभे बैठक स्थिगित रखंगातथा इस तरह बैठक स्थिगित रखने की सुबना उपस्थित सबस्यों का दी जाएगी साथ ही सुचना परिषद के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जायेंगी, और कोरम के पुराहां जान की स्थिति में, मल बैठक के सामने जो भी कार्य निष्पादित होना स,निविचत था, स्थगन के बादा आयोगित बैठक के सामने वहीं कार्य प्रस्तृत किया जाएगा और कोरम पूरा न होने के बावजूद उसका निगटान कर दियो। जायंगा ।

7. आपात बैठकों

- (क) अध्यक्ष अपने विवेक पर वैठक की स्चना देने की अविभ घटाकर किसी भी समय, किसी आपात मामले के निपटान के लिये, जिस पर कार्यकारिणी दुवारा तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक हो, कार्यकारिणी समिति की आपान बैठक गुला सकेगा ।
- (स) यदि अध्यक्ष को, अध्यक्ष के नाम लिम्लि रूप में आपात बैठक के लिये निवंदन प्राप्त हो, जिस पर पांच से कम सदस्यों ने हस्ताक्षर न किए हों और उस प्रयो-जन का उल्लेख भी किया गया हो जिसके निमिस्त वे बैठक बुलाना चाहते हैं तो अध्यक्ष्म अपने विवेक से तरकाल बैठक की आवश्यकता को समाभ कर, आपत बैठक बूला सकेगा।

बैठकों के कार्यवृत्त

(1) कार्यकारिकी समिति की प्रत्येक बैठक के तुरन्त बाद सदस्य-सचिव इवारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा तथा आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उसके द्वारा उसे आध्यकतानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य को उसमें अनुमोदन कराने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदित कार्यकृत को कार्यकारिणी मिमिति के सदस्यों के बीच एरिकालिस कर दिया जायंगा।

(2) उपर्युद्धत उप-िलिनयम 8(1) के अंतर्गत परिचालित कार्यवृद्ध को उनकी पुष्टि के लिये कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जारंगा और उनमें वे संशोधन, यदि कोर्ड ही, किये जाएंगे, जिल्हें कार्यकारिणी समिति उनमें करना उचित समझती हो और तबन्सार अनुमोदित कार्यवृद्ध पर अध्मक्ष, उपाध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य द्वारा, जैसा भी आवश्यक हो, हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा उन्हें संदर्भ और रिकार्ड के रूप में रखें जाने वाली कम्प्यूटर फाइलों और रिजस्टर का भाग बना विया जायेगा।

9. व्यक्तिसम्यों का सहयोजन

कार्यकारिणी समिति व्यारा उन व्यक्तियों की, कार्यकारिणी समिति को सौंपें गये कार्यों के निष्णादन के जिसे जिनसे वह सहा-यता एवं सलाह लेना चन्हें, परिषद् के कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें सहयोजित करने की दृष्टि से एक सूची तैयार की जायेगी। कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित सूची में से अध्यक्ष व्वारा किसी विश्लेष बैठक के लिये, जो उस विश्लेष बैठक की कार्यसूची में समिमिति मर्चों पर निर्भर करेगा, दो व्यक्तियों को सहयोजित करने की दृष्टि में उस बैठक में उपस्थित रहने के लिये आमंत्रित किया जायेगा।

किन्तु, शर्स यह है कि परिषद् के हिल को ध्यार में रखते हुए कार्यकारिणी समिति द्वारा, जब भी कभी आवस्यकता होगी उस सूची पर पुनर्विचार किया जा सकेगा ।

> सूरन्द्र सिंह सदस्य-सचित्र

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिवद्

RESERVE BANK OF INDIA CENTRAL OFFICE

(DEPARTMENT OF SUPERVISION)

Bombay-400 005, the 29th February 1996

No. 438/08-21-002/96.—In exercise of the powers under sub-section(1) of Section 41 of the State Bank of India Act. 1955 and in consultation with the Central Government the Reserve Bank of India has appointed:

- 1. M/s K. N. Gutgutia & Co., Calcutta
- 2. M/s Batliboi & Purohit Bombay
- 3. M/s Faruqui & Co., New Delhi
- 4. M/s Jagannathan & Sarbeswaran, Madras
- 5. M/s. Sorab S. Engineer & Co., Bombay
- 6. M/s. Loonker & Co., Jodhpur
- 7. M/s. K. K. Soni & Co., New Delhi
- 8. M/s. R. Singhi & Co., Calcutta
- 9, M/s. Umamaheswara Rao & Co., Hyderabad
- 10. M/s. Bansal Sinta & Co., New Delhi
- 11. M/s. Jain Chopra & Co., New Delhi
- 12. M/s. P. B. Vijayraghvan & Co., Madras
- 13. M/s. Salarpuria Jajodia & Co., Patna as auditor of the State Bank of India until the next Annual General Meeting of the said Bank,

D S. RAMACHANDRA RAJU, Executive Director

STATE BANK OF TRAVANCORE
(Associate of the State Bank of India)
HEAD OFFICE

Thiruvananthapuram, the 25th March 1996

NOTICE is hereby given that the Register of Shareholders of State Bank of Travancore will remain closed for transfer of shares from Tuesday the 4th June 1996 to Tuesday the 18th June 1966 (both days inclusive).

V. SRINIVASAN, Managing Director

STATE BANK OF INDORE HEAD OFFICE

Indore, the 22nd March 1996

NOTICE is hereby given that he Register of Shareholders of the State Bank of Indore will remain closed for transfer of shares from 20-5-96 to 15-6-96 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors
Sd/- ILLEGIBLE
Managing Dicetor

UNITED BANK OF INDIA Personnel (Admn. office Employees') Division HEAD OFFICE

Calcutta-700001, the 28th March 1996

CORRIGENDA

The following are the corrections in our Notification No 1/95 stated 23 May 1995 on Page 1198 in the Gazette of India (Pant-Hs. Section-4) dated 22nd July, 1995:

S. No.	Page No.	Para	Line	Correction
1	2	3	4 	5
1	1198	1	3	The figures '/ 1980' and '/40 of' in bracket are to be deleted.
2	1198	1	4	The figure '1980' in bracket is to be deleted.

ABHIJIT RAY
General Manager
(Personnel)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600034, the 27th February 1996

(Chartered Accountants)

No. 3 SCA (4)/2/95-96- In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified—that in exercise of the provers conferred by Clause

THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 13, 1996 (CHAITRA 24, 1918)

Council from time to time for the number of days the ment ber actually attends the meeting

SURENDRA SINGH
National Council for Teacher Education
Member Secretary

The 29th February 1996

No. F 28-7/95-NCTE—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) and clauses (j) and (k) of sub-Section 2 of Section 32 read with sub-Section (1), (5) and (6) of Section 19 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement

- (1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (matters relating to quorum, cooption and meetings of the executive Committee) Regulations, 1995.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in Official Guzette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993).
- (b) "Council" means the National Council for Teacher Education.
- (c) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Council constituted under sub-Section (1) of Section 19 of the Act

3. Meetings of the Executive Committee

- (1) The Executive Committee shall meet as often as may be necessary to transact its business but shall meet atleast twice in a calendar year.
- (2) The Chairperson shall fix the date, time and place of the meetings of the Executive Committee and approve the items of the Agenda for the meetings.
- (3) A member shall attend all the meetings of the Executive Committee save where leave of absence has been granted by the Chairperson in writing, and sign the attendance register kept in the meeting.

4. Notice of meetings and list of business

- (1) A written notice of every meeting of the Executive Committee shall be given to all the members of the Executive Committee atleast ten days before the date fixed for the meeting.
- (2) The notice shall state the place, date and time of the meeting and shall speecify the business proposed to be transacted thereat.
- (3 A separate agenda material for the meeting shall be despatched alongwith the notice or immediately thereafter.
- (4) No business which is not on the agenda shal be considered at the meeting without the permission of the Chairperson or in his absence the Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be.

All questions coming up before any meeting of the Executive Committee shall be decided by a inajority of the votes of the members present and voting. In the event of equal votes for or against a question, the Chairperson or, in the absence of Chairperson, the person presiding over the meetings shall have the power to exercise a second or casting vote.

6. Quorum

- (1) At every meeting of the Executive Committee atleast one-third of the Members excluding the number of vacancies shall form the quorum,
- (2) If at any meeting, quorum is not complete, the presiding member shall, after waiting for 30 minutes, adjourn the meeting for such hour on the same day or following day or some other day as he may think fit and a notice of such adjournment shall be given to the members present as well affixed on the Notice Board of the Council and the business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum shall be brought before the adojurned meeting and may be disposed off irrespective of the quorum.

7. Emergent meetings

- (a) The Chairperson may call an Emergent meeting of the Executive Committee at any time reducing the period of notice at his discretion to deal with any urgent matter requiring its attention.
- (b) The Chairperson shall call an Emergent meeting at his discretion on the merits of urgency if he receives a requisition in writing signed by not fewer than five members and stating the purpose for which they desire the meeting to be called is made to the Chairperson.

8. Minutes of the Mectinus

- (1) Immediately after each meeting of the Executive Committee, the Member Secretary shall draw up the minutes of the meeting and submit the same to the Chairperson, Vice Chairperson or the other previding member as the case may be, for his approval for taking further necessary action. The minutes so approved, shall be circulated to the members of Executive Committee.
- (2) The minutes circulated under sub-regulation 8(1) above, shall be placed before the Executive Committee for confirmation and be subject to such modifications, if any, as the Executive Committee may deem fit to make therein, and the minutes so approved, shall be signed by the Chairperson, Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be, and may form a part of the computer files and the register to be maintained for reference and record.

9. Co-option of persons

The Executive Committee may draw a panel of persons for co-options in the various fields pertaining to the functions of the Council whose assistance and advice it may desire, in carrying out the functions assigned to the Executive Committee. The Chairperson shall co-opt two persons from the panel approved by the Executive Committee to the particular meeting depending upon the items included in the agenda for the particular meeting.

Provided, however, that the Executive Committee shall review the panel as and when such contingency arises, in the interest of the Council.

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

पकाशन नियंत्रक, विल्ली दुवारा इक्तशित. 1996 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996